श्री सुरेश चाहर

(08)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मुरली / राजेन्द्र

तारीख हुक्म	155/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 225	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.18	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करें। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन व प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्य रूप से निवेदन किया कि रेस्पोंडेन्ट सं.1 / वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से इकतरफा मे अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया गया जिसके पश्चात अपीलांट को प्रकरण की तामील होने पर उनके द्वारा दिनांक 07/8/2007 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर दिया गया एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर उनका पक्ष सुने जाने की न्यायजोही की जाती रही किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर निस्तारण नही कर अपीलाधीन आदेश की अवधि को लगातार बढ़ाया जाता रहा है जो उच्चतर न्यायालयो द्वारा दिये गये आदेशो की स्पष्टत: अवहेलना है। अतः अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07/8/2007 को जवाब प्रस्तुत कर देने के पश्चात भी आदिनांक तक अपीलार्थी की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनवाई	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	155/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नही होने से यह अपील धारा-5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के अन्त मे निवेदन किया कि न्यायहित मे प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद स्वीकार फरमाया जाकर कानून के सुस्थापित सिद्धांतो के विपरित पारित एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश, जिसकी अवधि अविधिक रूप से लगातार बढाई जा रही है, की क्रियान्विति स्थगित फरमाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।	
	हमने अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र एकपक्षीय बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08|4|04 पारित किया एव उक्त आदेश की अवधि को आदिनांक तक बढाया जाता रहा है जो उचीत प्रतीत नही होता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	155/2018	

अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07/8/2007 से भी अपीलार्थी के कथनों की पुष्टी होती है। अतः ऐसी स्थिति मे दोनो पक्षो की सुनवाई कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना उचीत प्रतीत होने से आदेश पत्र अपील दिनांक 08/5/2004 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह की अवधि मे अथवा अधिनस्थ न्यायालय मे नियत आगामी पेशी दिनांक 05/5/2018 को गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 08/3/2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर